by the Government of Punjab, the workers of the enterprise raised an indilst-rail dispute over disciplinary action taken against three women which resulted in their dismissal from service on August, 31, 1991. The industrial dispute was amicably settled between the manage-. ment and the workmen in November, 1991.

It had been alleged by the workers' union that on September 27, 1991 a worker was kidnapped and manhandled by the management and later released by them- The worker has filed a complaint in the Court of a Judicial Magist. rate. No FTR was, however, lodged the police.

उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय

3250 **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने श्रम न्यायालय हैं ; और

(ख) 30 जून, 1991 को इन श्रम न्यायालयों में कितने मामले लम्बित पड़े हुए थे तथा कितने मामलों का कर्मचारियों के हित में फैसला हुआ और ये कितने समय से लंबित थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवर) : (क) उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 19 श्रम न्यायालय तथा 6 औद्योगिक अधिकरणों का गठन किया है औ: केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय सरकार औद्योगिक-अधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उसके द्वारा गठित विभिन्न श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों में 12,075 औद्योगिक विवाद तथा 5,095 आवेदन लंबित हैं । कानपुर स्थित केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय में 741 औद्योगिक विवाद और 886 आवेदन लंबित हैं । जितनी अवधि के लिए ये मामले लंबित हैं वह नीचे दी गई है :—

अवधि	केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण तथा श्रम-न्यायालय, कानपुर		उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण	
	औद्योगिक विवाद	आवेदन	औद्योगिक विवाद	आवेदन
एक साल से कम	622	710	5184	2548
1 से 2 साल के बीच	42	10	3439	1281
2 से 3 साल के बीच	63	152	1967	699
3 साल से अधिक	14	14	1485	567